

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 21.01.2026

सरकारी नौकरी एवं रेलवे का ठेका दिलाने के नाम पर रु0 29,00,000 (उनतीस लाख रुपये) गबन करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष खोराबार के नेतृत्व में ०१ अनूप कुमार द्वारा मय पुलिस टीम के थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-25/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस से सम्बन्धित अभियुक्त संजीव कुमार पुत्र विजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम चेरिया थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा को सरकारी नौकरी एवं रेलवे में ठेका दिलाने के नाम पर रु0 29,00,000 (उनतीस लाख रुपये) लेकर धोखाधड़ी किया गया जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

संजीव कुमार पुत्र विजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम चेरिया थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0-25/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
- मु0अ0सं0- 165/2015 धारा- 323,504,506,308 भादवि थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

- उनूप कुमार, थाना खोराबार, गोरखपुर
- हेमा राजेश प्रेमी, थाना खोराबार, गोरखपुर
- हेमा मिथिलेश राय थाना खोराबार, गोरखपुर।